राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

'बाल संरक्षण' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 14-15 दिसम्बर 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से **'बाल संरक्षण'** विषय पर दिनांक 14-15 दिसम्बर 2017 को पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 08 उप निरीक्षक पुलिस एवं 16 सहायक उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में यदुराज शर्मा, परामर्शद्, आर.पी.ए., जयपुर ने इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी देना, उनके प्रति संवेदनशील बनाना बच्चों से सम्बन्धित कार्यवाहियों विधि सम्मत तरीकों से करते हुए बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य करने के लिए तैयार करना है।

प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए श्रीमती नीतू प्रसाद, विशेषज्ञ बाल अधिकार ने बताया कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका बेहतर पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता एवं कार्यवाहियों में तत्परता की जरूरत महत्वपूर्ण है। उन्होने किसी भी व्यक्ति के जीवन में गरिमा एंव विकास की बुनियाद उसके बचपन से आरम्भ होने एवं बाल अधिकारों का सुनिश्चित किये बिना मानव अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकने की बात कही। यदुराज शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा सहमत उतरजीवित, सुरक्षा, विकास एवं

सहभागिता के अधिकारों पर अपनी बात रखी। उन्होने कहा कि बाल संरक्षण के लिए बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें बच्चे अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं एवं विचार व्यक्त कर सके। साथ ही बच्चों के सर्वोतम हित में सुधारात्मक एवं पुनर्वास का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

श्रीमती प्रीति अग्रवाल, अधिवक्ता एवं पूर्व सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि कानून बच्चों के लिए कल्याणकारी एवं पुनर्वास पर आधारित बच्चों को सुरक्षा देने वाला है। जिसमें बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस एकक एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण एकक है।

श्री ओम प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक (सेवानिवृत) ने मानव तस्करी विशेषत: बच्चों का बाल श्रम, देहव्यापार एवं अन्य कारणों से तस्करी पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होनें बच्चों पर इससे होने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव एवं बाल तस्करी की रोकथाम एवं विधिक कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी।

श्रीमती सन्तोष अग्रवाल, पूर्व सदस्या बाल कल्याण समिति, जयपुर ने कहा कि साझी रणनीति एवं संवेदनशीलता से ही बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2015 पर चर्चा करते बाल कल्याण समिति के कार्यो, पीडितों की सामाजिक एवं मनस्थितियों एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला।

डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए, जयपुर ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1986 पर व्याख्यान दिया। उन्होनें अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय, अपराध एवं सजा, पीडित बालकों के लिए सहयोग व्यक्तियों एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की।

श्री निहालचन्द, ए.सी.जे.एम. एवं उप सचिव, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, जयपुर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम 1986 इसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत विवेचना की। उन्होने बाल श्रम कानून एवं इसकी कार्यवाही प्रक्रियाओं एवं मानकों को बारे में चर्चा करते हुए बताया कि बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम 1986 एक ऐसा अधिनियम है जो विशेष तरह के कारोबार व धंधों में बच्चों की संलिप्तता पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह अधिनियम बच्चों के कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का नियमन भी करता है। इस अधिनियम से बाल मजदूरों की काम करने स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया गया है। अधिनिमय के लागू होने के बावजूद भी बाल मजदूरी की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे शोषण का शिकार होकर शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, खेलने एवं आराम करने की सुविधा आदि से अभी भी वंचित है इसलिए समुदाय में अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

डॉ. अनुकृति उज्जैनियां अति. पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने सत्र को सम्बोधित करते हुए बाल एवं महिला डेस्क के कार्य एवं संचालन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के लिए कार्य बिन्दु एवं डेस्क अधिकारी की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने कहा कि पीड़िता

बच्चों एवं महिलाओं की कार्यवाही प्रक्रियाओं के साथ ही मानसिक परामर्श एवं पुनर्वास करने में अधिक व्यावहारिक भूमिकाएं है। उन्होने कहा कि लैगिंक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 में महिला डेस्क की महत्वपूर्ण भूमिकाएं है।

प्रशिक्षण का आयोजन डॉ. अनुकृति उज्जेनियां अति. पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर के निर्देशन में आयोजित किया गया जिसमें डॉ. सुमन ढाका एवं यदुराज शर्मा ने समन्वयन के लिए कार्य किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के समस्त जिलो के 24 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।